न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 193/2014

निर्णय दिनांकः– 02/05/2017

भैरू उर्फ भैरों पुत्र केसरा जाति माली निवासी चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. पोखर पुत्र जग्गा जाति माली निवासी चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सीताराम सैनी प्रार्थी

श्री रामावतार सैन वकील अप्रार्थी सं0 1

–:: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 02.05.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 233 के आराजी ख0न0 3522/2308 रकबा 3 बीघा, ख0न0 3523/2308 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चांन्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 1/2 – 1/2 के खातेदार काश्तकार है। तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी के पूर्व साबिक ख0न0 2308 रकबा 65 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/13 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है। लेकिन आपसी सहमति से राजस्व अभियान में उक्त आराजी का तकासमा करते समय नामान्तकरण संख्या 773 दिनांक 20.10.1977 को पटवारी हल्का व राजकीय कारकानूननों की गलती से प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में से नाम छूट गया एवं उक्त आराजी का वर्तमान ख0न0 3522/2308, 3523/2308 कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गयी है। जबकि उक्त आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 1/2–1/2 हिस्सें के खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोंषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। वरवक्त खातेदारी भूमि खातेदारो के नाम चली आ रही थी लेकिन तकासमा के समय प्रार्थी का नाम सरकारी कर्मचारियों की गलती से रह गया है इसलिये उक्त आराजी में प्रार्थी

लगातार.....2

के नाम खातेदारी हट गयी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण खातेदारी गलत दर्ज हो गयी लेकिन उक्त आराजी का वरवक्त खातेदारी के समय से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का बराबर बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन जमीनों के भाव बढ जाने से अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया उक्त आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान कर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को काई बैधानिक अधिकार नही है। उक्त आराजी पर प्रार्थी दिनांक 30.06.2014 को खरार करने के लिये गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को बुआई जुताई करने से मना कर दिया कहां कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मेरे नाम से दर्ज है उक्त आराजी तुम्हारे नाम नही है इस जमीन को मै अन्य दीगर व्यक्तियो को बैचान करने की बाताचीत कर ली है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक की आराजी को बैचान कर दिया तो प्रार्थी को असहनीय हानी होगी जिसमे व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये न्यायाहित में प्रार्थी को विरूद्व अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है। अभी हाल ही में दिनांक 30.06.2014 को प्रार्थी ने अपनी हिस्से की खातेदारी भूमि पर बुआई जुताई करने गया तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बुआई करने से मना करने व अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान करने की धमकी दिये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से नकले लेने पर जानकारी हुयी कि उक्त आराजी अपने नाम नही है जिसका अधिवक्ता से सम्पूर्ण कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से वकील श्री रामावतार सैन ने मूल वाद मे वकालतनामा पेश किया। तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की आराजी ख0न0 3522/2308 रकबा 3 बीघा, ख0न0 3523/2308 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चान्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित होने का तथ्य सही है लेकिन वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजी का एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2308 रकबा 65 बीघा 11 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज थी। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 के हक मे प्रार्थी की पूर्ण सहमति से उसकी उपस्थिति में अन्य खातेदारो के साथ राजस्व अभियानों में मुताबिक आदेश दिनांक 28.09.1977 के नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर बाद जांच खातेदारी अधिकार दिये जाने से प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में अब कोई हक व हिस्सा किसी प्रकार से शेष नही रहा है। वादग्रस्त आराजी का तकासमा प्रार्थी के बयानात व कब्जा काश्त मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का होंने से मान्य न्यायालय केम्प प्रभारी के आदेशनुसार उक्त हक खातेदारी

लगातार.....3

का नामान्तकरण वर्ष 1977 में अप्रार्थी संख्या 1 के हक में खोला जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त बदस्तुतर अप्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है। इसके विपरित प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर ना तो पूर्व मे तथा ना ही वर्तमान में किसी प्रकार का कब्जा काश्त मौके पर वादग्रस्त आराजी पर नही है। दिनांक 30.06.2014 की घटना कपोल कप्ति तथ्यो पर आधारित है जबकि उक्त दिवस को कोई बातचीत वादी एवं अप्रार्थी के मध्य नही हुई है। जबकि प्रार्थी का मौके पर वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 का पूर्ण हक व कानूननी अधिकार है कि वह प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दखलदांजी करने पर मान्य न्यायालय से पाबन्द करवा देवे ऐसी स्थिति में वाद प्रार्थी विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व मनगठत तथ्यो को आधार मानकर तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड व मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त होने की जानकारी होने के बाबजूद भी उक्त वाद/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को कब्जे से बेदखल करने तथा उसके बुढापे का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को हडप करने बदनियति से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाने योंग्य है।दिनांक 30.06.2014 को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में बुआई जुताई करने से मना करने व राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हक खातेंदारी दर्ज होने की जानकारी के पश्चात वाद कारण दर्ज होना बताया है जबकि प्रार्थी व उसके वारिसान को सदैव अर्थात 1977 के पश्चात से वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में भाई बंटवारा अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व उसके वारिसान का होने की सदैव से जानकारी रही है। वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब के अतिरिक्त कथन में बताया की आराजी ख0न0 3522/2308 रकबा 3 बीघा, ख0न0 3523/2308 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चांन्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वर्तमान राजस्व रिकोर्डड मे बहैसियत खातेदार काश्तकार प्रतितवादी संख्या 1 पोखर पुत्र जग्गा कौम माली सा देह दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी वर्ष 1977 में विभाजन से अन्य खातेदारी एवं चल अचल सम्पति का भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य आपसी सहमति से पृथक पृथक परिवार में रहने से बंटवारा हुआ था जिसमे उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पूर्ण सहमति से उसकी उपस्थिति में श्रीमान कैम्प प्रभारी राजस्व अभियान के समक्ष बयान दर्ज करवाने पर ही वादग्रस्त आराजी हक खातेदारी वर्ष 1977 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चल रही है। जिसका अप्रार्थी 1 ही एकमात्र. खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी को उक्त नामान्तकरण वर्ष 1977 की सदैव से जानकारी रही है। प्रार्थी को सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी

लगातार.....4

होने के बावजूद दिनांक 30.6.2014 का कयाशी वाका दर्ज कर झुठा कारण दर्शित करते हुये कपोल कल्पित तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी को हडपने की नियत से उक्त वाद/प्रार्थना पत्र बिना वाद कारण के मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता नें अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 233 के आराजी ख0न0 3522/2308 रकबा 3 बीघा, ख0न0 3523/2308 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चांन्दमाकला तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 1/2 – 1/2 के खातेदार काश्तकार है। लेकिन आपसी सहमति से राजस्व अभियान में उक्त आराजी का तकासमा करते समय नामान्तकरण संख्या 773 दिनांक 20.10.1977 को पटवारी हल्का व राजकीय कारकानूननों की गलती से प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में से नाम छूट गया एवं उक्त आराजी का वर्तमान ख0न0 3522/2308, 3523/2308 कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गयी है। जबकि उक्त आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 1/2–1/2 हिस्सें के खातेदार काश्तकार है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोंषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजी का एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2308 रकबा 65 बीघा 11 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज थी। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 के हक मे प्रार्थी की पूर्ण सहमति से उसकी उपस्थिति में अन्य खातेदारो के साथ राजस्व अभियानों में मुताबिक आदेश दिनांक 28.09.1977 के नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर बाद जांच खातेदारी अधिकार दिये जाने से प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में अब कोई हक व हिस्सा किसी प्रकार से शेष नही रहा है। वादग्रस्त आराजी का तकासमा प्रार्थी के बयानात व कब्जा काश्त मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का होंने से मान्य न्यायालय केम्प प्रभारी के आदेशनुसार उक्त हक खातेदारी का नामान्तकरण वर्ष 1977 में अप्रार्थी संख्या 1 के हक में खोला जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त बदस्तुतर अप्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है। इसके विपरित प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर ना तो पूर्व मे तथा ना ही वर्तमान में किसी प्रकार का कब्जा काश्त मौके पर वादग्रस्त आराजी

लगातार.....5

पर नही है। तथा प्रार्थी को उक्त नामान्तकरण वर्ष 1977 की सदैव से जानकारी रही है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हक खातेदारी विगत 35–40 वर्षो से राजस्व रिकोर्ड में बदस्तुर इन्द्राज चली आ रही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे किसी प्रकार से नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बखुबी साबित है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना आवश्यक है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071–2074 वाके ग्राम चान्दमाकला में पोखर पुत्र जग्गा कौम माली दर्ज रिकोर्डड खातेदार काश्तकार है तथा वर्ष 1977 मे राजस्व अभियान में मुताबिक तकासमा दोनो पक्षों की उपस्थिति में किया गया था। विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त का बिन्दु साक्ष्य सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जावेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा के विचारण में तीन आधारभूत बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति पर सोचना आवश्यक है। वर्तमान में प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार नही है। इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना अवधारित नही किया जा सकता। तथा रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है एंव सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में अधिक प्रबल प्रतीत होते है। अतः दावें के अंतिम निस्तारण तक विवादीत आराजीयात के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित प्रतीत नही होता है। तथा प्रार्थी के अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को सिद्व करने मे पूर्णतयः असफल रहे है। इस लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 02.05.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर